न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 42/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/178

1. शिव कुमार आचार्य, एडवोकेट कोर्ट कैम्पस, अनूपगढ़

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी घड़साना

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 03.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं, उपखण्ड अधिकारी घड़साना के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संबंधित सूचना अपीलार्थी को दिलाए जाने हेतु निवेदन किया गया है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के पत्रांक आरटीआई/2024/1785 दिनांक 03.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि आवेदक को वांछित सूचना कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2024/1540 दिनांक 02.09.2024 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समय पर सूचना नहीं देने आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। उपखण्ड अधिकारी घड़सना के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अपीलार्थी को संबोधित पत्रांक/ आरटीआई/2024/1540 दिनांक 02.09.2024 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा अपीलार्थी/आवेदक को प्रतिउत्तर प्रेषित कर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई है। परन्तु राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को भविष्य में निश्चित समयावधि में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित करते हुए अपील अस्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़